राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 02.05.2021

<u>आदेश</u>

कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से उत्पन्न वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव, रोकथाम, इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोडने तथा इसके संक्रमण से होने वाली मृत्युओं को न्यूनतम किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि संक्रमण की प्रारम्भिक अवस्था में ही संक्रमित व हाईरिस्क ग्रुप के व्यक्तियों की पहचान कर उनका समय रहते प्राथमिकता के आधार पर समुचित ईलाज किया जावे।

COVID-19 का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित श्रेणियों के Vulnerable Group पर होता है–

1. अन्य बिमारियों से ग्रसित व्यक्ति (Co-morbidity)
2. ILI/SARI से ग्रस्त मरीज
3. 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
4. गर्भवती स्त्रियाँ।

अतः उक्तानुसार चिन्हित Vulnerable Groups के व्यक्तियों के सतत् पर्यवेक्षण /आवश्यक दवाईयाँ उपलब्ध कराने एवं Referral की दृष्टि से राज्य में Mission LiSa प्रारंभ किया गया था। कतिपय स्थानों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि क्षेत्रीय कार्मिकों के द्वारा Vulnerable Groups के व्यक्तियों से मात्र मौखिक जानकारी प्राप्त की जाती है तथा अति अल्प अवधि में Interaction कर Screening की इतिश्री कर ली जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी समय–समय पर निर्देशित किया गया है कि COVID-19 प्रबंधन के अंतर्गत सर्वाधिक प्राथमिकता COVID-19 के कारण होने वाली जनहानि को रोकना है। इस हेतु Vulnerable Groups के व्यक्तियों की समुचित Screening के साथ Referral की उचित व्यवस्था करना भी अति आवश्यक है। कोविड– 19 संक्रमण से बचाव, रोकथाम, इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोडने तथा इसके संक्रमण से होने वाली मृत्युओं को न्यूनतम किये जाने संक्रमण की प्रारम्भिक अवस्था में ही संक्रमित व हाईरिस्क ग्रुप के व्यक्तियों की पहचान कर उनका समय रहते उपचार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जिला स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है–

(1) बी.एल.ओ. के क्षेत्रानुसार सघन रूप से घर–घर सर्वे व आवश्यक दवाईयाँ दिये जाने हेतु बी.एल.ओ. एएनएम व आशा सहयोगिनी की एक टीम गठित की जाकर, उन्हें **Pulse Oximeter, Thermal Scanner** व आवश्यक दवाईयाँ उपलब्ध कराई जावें।

(2) घर–घर सर्वे के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोविड– 19 संकमण, ILI / SARI के लक्षण दिखाई देने पर ऐसे मरीज को तत्काल आवश्यक दवाईयाँ देते हुए तत्काल परामर्श हेतु निकटस्थ COVID Consultation/Care Centre पर जाने हेतु प्रेरित करे तथा गंभीर रोगी पाये जाने पर ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थित COVID Consultation/Care Centre पर तथा शहरी क्षेत्र में निकटस्थ चिकित्सा संस्थान पर उपचार हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

(3) उक्त गठित 4 से 5 दलों के बीच एक वाहन की व्यवस्था भी की जाएगी। उक्त वाहन, दलों को गंतव्य स्थलों तक ले जाने के साथ–साथ Screening के दौरान Referral हेतु उपयुक्त पाए गए व्यक्तियों को चिकित्सा संस्थानों तक ले जाने हेतु भी उपयोग में लिए जाएंगे।

(4) उक्त समस्त कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण करने हेतु दलो की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाए कि उक्त कार्य 15 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जा सके।

(5) उक्त कार्य हेतु गठित समस्त दलों का प्रशिक्षण जिला/ब्लॉक स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। इस प्रशिक्षण में यह स्पष्टता से बताया जाए कि निम्न परिस्थितियों में Referral आवश्यक है–

(i) Pulse Oximeter द्वारा Oxygen Level निर्धारित स्तर से कम होने पर
(ii) ILI लक्षण दृष्टिगत होने पर
(iii) अन्य Medical Ailment की स्थिति गंभीर होने पर

उक्त कार्य की सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जाकर रिपोर्ट सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित की जावेगी। उक्त सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी होगे।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
9. समस्त जिला कलक्टर, राज.
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
15. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव